

7



राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल की आज्ञा

117/2009

दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 को सरक्यूलेशन के माध्यम से आयोजना (ग्रुप-7) विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक प. 8 (3) आयो/ग्रुप-7/09 दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 में अंकित आयोजना (जनशक्ति) विभाग को गठित करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(टी. श्रीनिवासन)
मुख्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
आयोजना विभाग।

डी- 117/मंमं/2009
दिनांक: 18 दिसम्बर, 2009

S.N-1(R)

कार्यालय सचिव

शासन सचिव

नं. 3063

दिनांक 23/12/09

आयोजना (अवकाश) विभाग
 शासन सचिवालय, जयपुर
 बायरी संख्या 1075
 दिनांक 30/12/09

GOVERNMENT OF RAJASTHAN**CABINET SECRETARIAT**

No. F.27(6)Cab./2009

Jaipur, Dated: 19 Decmber,2009

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following amendment in the Rajasthan Rules of Business, namely:-

AMENDMENT

In the "FIRST SCHEDULE" appended to the said rules after existing head "XVII PLANNING DEPARTMENT" and entries thereto, the following new head and entries thereto shall be inserted, namely:-

"XVII-A- Planning (Manpower) Department

- (1) On line registration of technical and non-technical personnel.
- (2) Plans for employment policies and infrastructure.
- (3) Keeping track record of trained manpower and providing employment opportunities.
- (4) Incentives for private sector for providing employment opportunities.
- (5) Preparing plans for mitigating/improving in the existing skill deficiencies.
- (6) Promoting employment opportunities in public/private sector.

[Signature]

DS (MP)
 23/12
 AL
 29/12
 J/MP
 AD(MP) 29/12
 29/12
 At cum

- 41
- (7) Training in traditional and upcoming areas.
 - (8) Programmes and policies for adequate availability of required skills.
 - (9) Employment to skilled manpower and incentives for self employment and help in obtaining financial assistance.
 - (10) Coordination between various institutions/ organizations for creating employment opportunities and skill development."

By Order of the Governor,



(Rakesh Verma)

Principal Secretary to Government

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. Addl. Chief Secretary to the Governor
2. Pr. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. All Addl. Chief Secretaries to Govt.
4. All Pr. Secretaries/Secretaries/Spl. Secretaries to Govt.
5. All Spl. Asstt./P.S. to Ministers/State Ministers/Parliamentary Secretaries.
6. P.S. to C.S.
7. All Sections of Secretariat.
8. Guard file.


Dy. Secretary to Govt.

राजस्थान सरकार
आयोजना (जनशक्ति) विभाग

क्रमांक: प0 8 (3) आयो/जश/7/2009

जयपुर, दिनांक- 24-02-2010

--: संशोधन :-

आयोजना (जनशक्ति) विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक प.8(3) आयो/जश/7/2009 दिनांक 5.02.2010 में आंशिक संशोधन करते हुए बजट शीर्ष में निम्नानुसार संशोधन की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

पूर्व में स्वीकृत बजट शीर्ष

मांग संख्या-35

3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

800-अन्य व्यय

(01)-निदेशक,आयोजना (जनशक्ति)विभाग के माध्यम से

संशोधित बजट शीर्ष

मांग संख्या-35

3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

800-अन्य व्यय

(02)-निदेशक, आयोजना (जनशक्ति)विभाग के माध्यम से (आयोजना)

प्रमुख शासन सचिव
आयोजना विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. सचिव, लोकअयुक्त सचिवालय, जयपुर।
9. पंजीयक, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।
10. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, जयपुर।
11. निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
13. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
14. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राज0, जयपुर।
15. निदेशक, जनसम्पर्क, जयपुर।
16. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य सूचना आयोग, जयपुर।
17. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर।
18. उपशासन सचिव, आयोजना, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. उपशासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात विभाग) सचिवालय, जयपुर।
20. गार्ड फाईल।

प्रमुख शासन सचिव
आयोजना विभाग

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(2)वित्त/साविलेनि/2005

जयपुर, दिनांक : 29/4/2010
परिपत्र संख्या : 8/2010

आदेश


विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग--I में संशोधन

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग--I में निम्न प्रकार संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

The following new entry at S.No. 391 of Appendix-8 of said rules shall be added as under:-


"391. Director, Planning (Man Power)."

आज्ञा से,


(जी.जी.व्यास)
विशेषाधिकारी

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधिनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकसभा सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
8. महालेखाकार (मैजिस्ट्रेट एवं कांतिरिक्त लेखा परीक्षा) / (ए एन डी) राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर/सभागाय आयुक्त। 10. इन्तय सलाहकार, चाकत्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
15. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
16. उचित रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का निर्देश अनुपचार करवाकर इस विभाग को अधिलेख विभागाध्यक्ष के निम्नलिखित अनुभाग प्रेषित किया जा सके।
17. एनसिस्ट-कम-गेणामर, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (संगणक) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (संगणक)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था कराये।


वरिष्ठ लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
आयोजना(जनशक्ति) विभाग


क्रमांक-प0 8(3)आयो/जश/7/2009

जयपुर, दिनांक- 21 मई, 10

-:: कार्यालय आदेश ::-


सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग 1 के नियम 62 के अधीन निदेशक, आयोजना (जनशक्ति) के पदस्थापन होने तक अघोहस्ताक्षरकर्ता अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक समस्याओं यथा स्टाफ के वेतन आहरण, निदेशालय के दैनिक कार्यों के संचालन हेतु उपशासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागाध्यक्ष को प्रदत्त वित्तीय अधिकार प्रदान करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. सं0 101001694 दिनांक 10.05.2010 के द्वारा अनुमोदित है।


प्रमुख शासन सचिव,
आयोजना

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, वित्त (सामान्य एवं लेखा नियम) विभाग।
3. निदेशक, आयोजना जनशक्ति।
4. रक्षित पत्रावली।


प्रमुख शासन सचिव,
आयोजना